

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1284/1830/2009/निगम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2009

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- अध्यापक संवर्ग में कार्यरत निःशक्त अध्यापकों को विकलांग वाहन भत्ता दिये जाने बाबत।

— 0 —

राज्य शासन के अराजपत्रित अधिकारी/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता रूपये 150/- प्रति माह की दर से प्राप्त हो रहा है। यह भत्ता पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में अध्यापक संवर्ग में कार्यरत निःशक्त अध्यापकों को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतान करने की सहमति प्रदान की जाती है :-

- (क) यह भत्ता, अन्य भत्तों के अतिरिक्त देय होगा।
  - (ख) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ते की पात्रता तभी होगी जब उसके शरीर के ऊपरी या नीचले दोनों भाग वाले अंगों में विकृतियां न्यूनतम 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) स्थाई/आंशिक असमर्थता के साथ हो।
  - (ग) वाहन भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार होगा।
  - (घ) दृष्टिहीन कर्मचारी के मामले में भी यह भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार होगा।
  - (ड) यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) एवं निलंबन काल में देय नहीं होगा।
2. वाहन भत्ते का भुगतान पात्र अध्यापकों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं। संबंधित संस्थाओं को उक्त व्यय के लिए अनुदान की पात्रता होगी।
  3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


हस्ताक्षर  
(जी.पी. सिंघल)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्रमांक / 888 / शिक्षाकर्म / 09  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर,
3. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम,
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
5. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
6. समस्त तंभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश की ओर म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक 1234 / 1830 / 2009 / निगम / चार भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2009 आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित है।

  
(बी.एस. सक्सेना) 29-10-09  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, भोपाल

1284

क्रमांक 1830/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

प्रति

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय भोपाल

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,  
मंत्रालय भोपाल

विषय:- अध्यापक संवर्ग में कार्यरत निशक्त अध्यापकों को विकलांग वाहन भत्ता दिये जाने बाबत ।

\*\*\*\*\*

राज्य शासन के अराजपत्रित अधिकारी/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता रूपये 150/- प्रतिमाह की दर से प्राप्त हो रहा है। यह भत्ता पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में अध्यापक संवर्ग में कार्यरत निशक्त अध्यापकों को भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन भुगतान करने की सहमति प्रदान की जाती है :-

- (क) यह भत्ता, अन्य भत्तों के अतिरिक्त देय होगा।
  - (ख) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ते की पात्रता तभी होगी जब उराके शरीर के ऊपरी या निचले दोनों भाग वाले अंगों में विकृतियां न्यूनतम 40 प्रतिशत (चात्तीस प्रतिशत) स्थायी /आंशिक असमर्थता के साथ हो।
  - (ग) वाहन भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार होगा।
  - (घ) दृष्टिहीन कर्मचारी के मामले में भी यह भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार होगा।
  - (ङ) यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) एवं निलंबन काल में देय नहीं होगा।
- 2- वाहन भत्ते का भुगतान पात्र अध्यापकों को उक्त संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं। संबंधित संस्थाओं को उक्त व्यय के लिये अनुदान की पात्रता होगी।
- 3- यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(जी. पी. सिंघल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


1285

पृ. क्रमांक 1830/2009/नियम/चार  
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2009

- (1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/आडिट, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
- (2) आयुक्त, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (3) आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (4) आयुक्त नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (5) आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (6) समस्त संभागीय संयुक्त संजालक्र, कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
- (7) समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(डी.के.सक्सेना)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग